



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं० Tour Programme/1/2016/RU-III

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan

Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक: 22-11-2016

सेवा में,

1. मुख्य सचिव,
झारखंड सरकार,
रांची (झारखंड)

2. सचिव,
अनुसूचित जनजाति विभाग,
झारखंड सरकार,
रांची (झारखंड)

4. जिला पुलिस अधीक्षक,
जिला-दुमका,
झारखंड

3. जिला कलेक्टर,
जिला-दुमका,
झारखंड


विषय: आयोग द्वारा जिला दुमका, झारखंड दिनांक 05.10.2016 से 08.10.2016 तक किये गये राजकीय प्रवास की रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डा० रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा जिला दुमका, झारखंड दिनांक 05.10.2016 से 08.10.2016 तक किये गये राजकीय प्रवास की रिपोर्ट की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रकरण में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय


(वी.पी.शाही) 22/11

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि:

1. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. को-ऑपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची-834002 (झारखंड) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. सभी एकक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मुख्यालय।
3. एसएसए, एनआईसी 558.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संख्या:सीपी/एनसीएसटी/2016/5

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के दुमका जिले के भ्रमण में पहाड़िया जनजाति समूह के लिये चलाई जा रही विकास योजनाओं के संबंध में किये गये राजकीय प्रवास की रिपोर्ट ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के संदेश संख्या: सीपी/एनसीएसटी/2016/5 दिनांक 26/09/2016 के क्रम में डा. रामेश्वर उराँव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दुमका जिले के गाँवों का भ्रमण किया ।

नई दिल्ली से आसनसोल पहुँचने पर श्री लाल चन्द दास, जूनियर इंजिनियर, दुमका ने माननीय अध्यक्ष महोदय का फूलों का गुच्छा प्रदान कर स्वागत किया । आसनसोल से सड़क मार्ग द्वारा दुमका अतिथिशाला पहुंचे ।

अतिथिशाला से सड़क मार्ग द्वारा अमलागड़िया गाँव पहुँचे । गाँव पहुँचने पर ग्रामीणों ने अपनी परम्परा के अनुसार अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया । यह गाँव पहाड़ी के ऊपर स्थित है एवं चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है । इस गाँव में पहाड़िया जनजाति के 24 परिवार रहते हैं एवं मकानों की संख्या 30 है । भ्रमण के दौरान अमलागड़िया गाँव में पहाड़िया लोगों की निम्नलिखित समस्याएँ पाई गई ।

1. सड़क:- श्री मानिक अहाड़ी एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सबसे मुख्य समस्या सड़क मार्ग की है । पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को पगडंडी के रास्ते आना जाना पड़ता है । रोजमर्रा का सामान लाने ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पहाड़ी के दोनों तरफ में रोड़ है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनके लिये सड़क नहीं बनाया गया । श्री मधुसूदन अहाड़ी, ग्राम प्रधान ने बताया कि पिछली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी आये थे, तब उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलकर रास्ता बनाने के लिये लिखित रूप में मांग-पत्र दिया था, लेकिन आज तक उस मांग-पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

रामेश्वर उराँव

डा. रामेश्वर उराँव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi



अमलागड़िया गाँव में ग्रामीणों की समस्याएँ सुनते हुये



2. बिजली:- ग्रामीणों ने बताया कि बिजली के तार एवं पोल खड़े कर बिजली कनेक्शन गाँव तक पहुँचा दिये गये है लेकिन 15 मई, 2016 से बिजली नहीं है। पी.एस.एस. सेंटर में शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि बिजली आ भी जाती है तो दो तीन दिन में या तो बिजली की तार टूट जाती है या ट्रांसफार्मर जल जाता है।

रामेश्वर ओराण

डॉ. रामेश्वर ओराण/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. **पेयजल:-** ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में पानी का कुआँ है, जो पानी का एकमात्र स्रोत है। गर्मी के दिनों में कुआँ का पानी सूख जाता है। ग्रामीणों को दो तीन महीने झरने का पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। कुआँ के पानी को शुद्ध करने के लिये सरकार की ओर से ब्लीचिंग पाऊडर भी नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने बताया कि रास्ता न होने के कारण चापाकल लगाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने लोगों को सलाह दी कि कुआँ के पानी को गर्म करके एवं छानकर शुद्ध करके पीना चाहिये।

4. **चिकित्सा:-** इस गाँव में कोई चिकित्सा उपकेन्द्र/डिस्पेंसरी नहीं है। गाँव से लगभग पाँच किलोमीटर दूरी पर उप स्वास्थ्य केन्द्र है। रास्ता न होने के कारण बीमार व्यक्ति को कंधे पर लादकर ले जाना पड़ता है। यहाँ पर पर्याप्त दवाईयाँ भी नहीं हैं लोगों ने बताया कि टायफाइड की दवाई नहीं मिलती है। पैसा देकर दुकान से खरीदनी पड़ती है। लोगों ने बताया कि पौष्टिक आहार न मिलने के कारण लोगों को टी.बी. हो जाती है। भ्रमण के दौरान गाँव में टी.बी. का एक मामला सामने आया। श्री शिवू अहाड़ी वर्तमान में टी.बी. रोगी हैं, जिनका स्वास्थ्य बहुत ही खराब है। यहाँ के लोग मुख्यतः टायफाइड, मलेरिया एवं पीलिया इत्यादि बीमारियाँ होती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4-5 वर्षों से डी.डी.टी. का भी छिडकाव नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय के पूछने पर लोगों ने बताया कि हमारे गाँव में ओझा एवं डायन प्रथा नहीं है।

5. **आंगनवाड़ी:-** इस गाँव में आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है। एक आंगनवाड़ी केन्द्र है जोकि पहाड़ी के नीचे है, इसमें बच्चों की संख्या 26 है। श्रीमती सरिता देवी, आंगनवाड़ी सेविका है। आंगनवाड़ी में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन अण्डा दिया जाता है इसके अतिरिक्त दलिया और दोपहर में खिचड़ी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री मधुसूदन अहाड़ी, ग्राम प्रधान से इस संबंध में पूछा तो ग्राम प्रधान ने बताया कि बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है।

6. **शिक्षा:-** इस गाँव में उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 40 है। विद्यालय में मात्र 2 ही अध्यापक हैं। श्री श्यामलाल अहाड़ी, अध्यापक ने बताया कि कक्षा एक से कक्षा पाँच तक बच्चों को पुस्तकें मुफ्त मिलती हैं। विद्यालय का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर मालूम करने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुमारी अलोचना कक्षा-4 से हिन्दी की किताब पढ़वाकर देखा गया, तो पाया गया कि शिक्षा का स्तर बढ़िया है।

7. **खाद्य सुरक्षा:-** ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को राशन मिलता है । बताया गया कि पहले 35 किलो राशन मुफ्त मिलता था लेकिन अब 33 किलो राशन मिलता है । लोगों ने बताया कि वर्तमान में राशन 1 रूपये प्रति किलो की कीमत पर मिलता है । राशन में चावल एवं गेहूँ मिलता है ।

8. **आवास योजना:-** उपस्थित ग्रामीणों ने बताया बिरसा आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है । श्री मानिक अहाड़ी पहाडिया ने बताया कि बिरसा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिये उसको एक लाख रूपये राशि मिली थी, शेष राशि नहीं मिली है । इन्होंने मकान बनाने के कार्य शुरू कर दिया है इनकी मकान की दीवार खड़ी हो गई है लेकिन शेष राशि न मिलने के कारण मकान का कार्य अधूरा है । श्री मानिक ने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि सरकार द्वारा उनको शेष राशि दिलवा दी जाये ताकि वह अपना मकान बना सकें ।

9. **पेंशन:-** श्रीमती नुनकी एवं श्रीमती कलावती ने बताया कि उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है । श्रीमती सन्तोष देवी ने बताया कि उनको विधवा पेंशन नहीं मिल रही है । ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के तहत ग्रामीणों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी नहीं मिल रही हैं ।



अमलागडिया गाँव का भ्रमण करने के बाद पगडंडी के रास्ते आते हुये

चकलता गाँव का भ्रमण

चकलता गाँव पहुँचने पर ग्रामीणों ने अपनी परम्परा के अनुसार अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। यह गाँव सड़क किनारे स्थित है।

1. **बिरसा आवास योजना:-** उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि बिरसा आवास योजना के तहत ग्रामीणों को आवास नहीं मिला है। आबादी बढ़ने के कारण पुराने मकानों में रहने में दिक्कत आ रही है। सभी ग्रामीणों ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया ग्रामीणों को बिरसा आवास के तहत लाभ दिलवाया जाये।

2. **सिंचाई:-** श्री राजू देहरी ने बताया कि उनके पास 6 बीघा जमीन है लेकिन खेती करने के लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सभी ग्रामीणों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि सिंचाई के लिये पम्पिंग सैट उपलब्ध करवाये, जिससे वे खेती कर अपना गुजारा कर सकें। श्री सुरेश दोहरी ने सिंचाई के लिये कुआँ की माँग रखी।

3. **खाद्य:-** उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि 30 किलोग्राम चावल एवं 3 किलोग्राम अनाज (कुल 33 किलोग्राम) मिलता है। ग्रामीणों ने बताया कि यह राशन पहले 35 किलोग्राम मिलता था। ग्रामीणों ने बताया लाल कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 4 किलो राशन मिलता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि राशन लेने के लिये 1 रूपये किलोग्राम के हिसाब से राशन मिलता है जोकि पहले मुफ्त मिलता था। राशन दुकान वाला राशन कम देता है। राशन की गुणवत्ता भी निम्न श्रेणी की है। श्री रतन देहरी ने बताया कि परिवार में 5 आदमी है, उसमे 4 व्यक्तियों का राशन कार्ड में नाम नहीं है। पबनी देहरी ने बताया कि उनका लाल कार्ड बना हुआ है। अधिकतर ग्रामीण संयुक्त परिवार से अलग होने के बाद उनका राशन कार्ड नहीं बना है। ग्रामीणों ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि उनका राशन कार्ड बनवाया जाये।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

चकलता गाँव में ग्रामीणों के समस्याएँ सुनते हुये

4. **पेयजल:-** श्री मोतीलाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण कुआँ का पानी पीते हैं। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि चापाकल की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने बताया कि एक चापाकल है लेकिन वह खराब है। अध्यक्ष महोदय ने ग्रामीणों को कहा कि कुआँ के पानी को उबालकर पीना चाहिये।
5. **स्वास्थ्य:-** लोगों ने बताया कि कुछ दूरी पर एक उप स्वास्थ्य केन्द्र है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र तो है लेकिन उसमें कभी डाक्टर नहीं रहते एवं दवाईयां भी नहीं मिलती है, जिसके कारण 5-6 किलोमीटर दूरी पर स्थित अस्पताल में जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों को ज्यादातर मलेरिया एवं पीलिया की बीमारी होती है।
6. **आंगवाड़ी केन्द्र:-** एक आंगनवाड़ी केन्द्र है जोकि दूसरे टोले में है। आंगनवाड़ी केन्द्र में खाना अच्छा मिलता है। इस आंगनवाड़ी केन्द्र में जो सेविका थी, वह किसी कारणवश अपने पिता के घर पर चली गई और स्थाई रूप से वहीं पर रह रही है। वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्र में कोई सेविका नहीं है। ग्रामवासियों ने बताया कि खाना अच्छा मिलता है एवं बच्चे भी बराबर आंगनवाड़ी केन्द्र में जाते हैं।

रामेश्वर ओराण

डा. रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. **शिक्षा:-** ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय में मात्र 2 पैरा टीचर है। श्री राजनाथ सिंह पुत्र श्री योगेश्वर प्रसाद ने बताया उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल लाइन बस द्वारा पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर जाँच करने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित विद्यार्थियों से मौखिक रूप में परीक्षा ली, तो पाया गया कि शिक्षा का स्तर बढ़िया है। श्री बी.पी. सिंह ने माँग रखी कि गाँव में पहाड़िया लोगों के लिये अलग से एक आवासीय विद्यालय होना चाहिये। चकलता गाँव में 6 मैट्रिक पास, 3 इन्टरपास एवं 1 बी.ए. पास पहाड़िया जनजाति के व्यक्ति है।

8. **बिजली:-** उपस्थित लोगों ने बताया कि बिजली की व्यवस्था है लेकिन आपूर्ति ठीक नहीं है। बताया गया कि बिजली बहुत कम आती है और बिजली का बिल 600-700 रुपये देना पड़ता है। श्री सुखलाल दोहरी ने बताया कि बिजली कनेक्शन लेने पर बिजली वाला 2000 रुपये मांगता है और हम लोग रसीद मांगते हैं तो कहता है कि रसीद एक महीने बाद मिलेगी। ग्रामीणों ने इसकी जाँच करने की माँग की।

9. **व्यवसाय:-** श्री संजय कुमार सिंह एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़िया लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। उपस्थित ग्रामीणों ने अध्यक्ष महोदय को कहा कि यदि उनको व्यवसाय के लिये आर्थिक अनुदान मिल जाये तो पहाड़िया लोगों द्वारा पकौड़ी चाय की दुकान, साईकिल पेंचर, बिजली उपकरण इत्यादि व्यवसाय किया जा सकता है। मनरेगा में भी कोई काम नहीं हो रहा है।


10. **पेंशन:-** उपस्थित लोगों ने बताया कि आदिम जनजाति समूह के लोगों को 600 रुपये पेंशन के रूप में मिलता है। पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा होती है। लोगों ने बताया कि यह पेंशन परिवार के मुखिया मुख्यतः महिला मुखिया के खाते में आती है। उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि आदिम जनजाति विशेष समूह सहायता राशि लोगों को वितरित नहीं की जा रही है। वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।

रामेश्वर उराव

डा. रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 07/10/2016 को राजकीय अतिथिशाला में उपायुक्त, दुमका, परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए. एवं जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ हुई चर्चा का कार्यवृत्त निम्न है ।

अध्यक्ष महोदय ने पहले अमलागड़िया ग्राम, दुमका की समस्याओं के संबंध में चर्चा की । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस ग्राम में रास्ता नहीं है जोकि ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है । लोगों का पगडंडी के रास्ते जाना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि रैयती जमीन पर भी रास्ता बनाया जा सकता है और यदि वन विभाग की जमीन है तो वन विभाग भी ग्रामीणों को रास्ता बनाकर दे सकता है । अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त, दुमका को मामले में पहल करके रास्ता बनवाने की सलाह दी । उपायुक्त, दुमका ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके इस समस्या का समाधान करेंगे । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ग्रामीणों के लिये पेयजल की भी समस्या है, ग्रामीण कुआँ से पानी पीते हैं और वर्ष में 2-3 महीने तो इनको झरने का पानी पीना पड़ता है । अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त, दुमका को कहा कि राज्य सरकार को कुआँ का गहरीकरण एवं चापाकल लगवाने के लिये प्रस्ताव भेजा जाये । खासकर बरसात के दिनों में जब गंदा पानी बहकर कुआँ एवं तलाबों में चला जाता है, पानी को शुद्ध करने के लिये ब्लीचिंग पाऊडर मुहैया किया जाये । शुद्ध पानी के बारे में लोगों को जागृत करना चाहिये ताकि बीमारियों की रोकथाम हो सकें । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ग्रामीणों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता जिसके कारण ग्रामीण को कुपोषण एवं टी.बी. की बीमारी हो रही है । टी.बी. का एक मामला दौर के दरम्यान अध्यक्ष महोदय के सामने आया । अध्यक्ष महोदय ने कर्नाटक का उदाहरण देते हुये कहा कि जैसे कर्नाटक में आदिम जनजाति समूह को अलग से पौष्टिक भोजन दिया जाता है, यहाँ कि सरकार को भी ऐसी नीति पर काम करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यहाँ के लोगों को अधिकतर मलेरिया, पीलिया, टी.बी. एवं टायफाइड की बीमारी होती है । इस संबंध में उपायुक्त, दुमका ने कहा कि जगह-जगह कैम्प लगवाकर जाँच की जायेगी एवं मोबाईल डॉक्टर की भी व्यवस्था की जायेगी । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि लोगों का कहना है कि पहले राशन मुफ्त मिलता था लेकिन अब 1 रूपये प्रति किलोग्राम देना पड़ता है । इस पर उपायुक्त, दुमका ने माना कि ग्रामीणों का कहना ठीक है लेकिन एक महीने के बाद फिर से ग्रामीणों को मुफ्त राशन मिलेगा । अध्यक्ष महोदय के सामने श्री मानिक अहारी पहाड़िया ने निवेदन किया कि उनको एक लाख रूपये आवास बनाने के लिये सरकार की ओर से मिला था । अब उसके मकान की दीवार खड़ी हो गई है लेकिन शेष राशि अभी तक नहीं



सिद्धि है। अध्यक्ष, इनका न परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए. को बैठक में ही निर्देश दिया कि इस मामले को जाँच करवाकर समस्या का समाधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राज्य सरकार एवं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि आदिम जनजाति समूह के पहाड़िया लोगों को होने वाली बीमारियों की रोकथाम के उपाय किये जाये, क्योंकि ये लोग बहुत भोले भाले होते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन लोगों के कल्याण के लिये राज्य सरकार को अलग से बजट आवंटित किया जाना चाहिये, जैसा कि पूर्व में होता था।



राजकीय अतिथिशाला में जिलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चकलता ग्राम के लोगों ने बताया कि उनको बिरसा आवास योजना के तहत आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस संबंध में बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए. ने बताया कि बी.डी.ओ. प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजते। इसका कारण यह है कि प्रस्ताव भेजने के लिये पहाड़िया जनजाति के लोगों से बी.पी.एल. कार्ड मांगा जाता है, लेकिन उनका कार्ड में नाम नहीं होने के कारण उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसी नीति बनाई जानी चाहिये, जिससे बिरसा आवास योजना का पैसा लाभुक को न देकर किसी एजेन्सी, एन.जी.ओ. या विभाग द्वारा उनको आवास बनाकर आवंटित किये जाने चाहिये, क्योंकि इन लोगों को अगर आवास की राशि मिलेगी तो उसका दुरुपयोग की संभावना बनी

रामेश्वर ओराण

डा. रामेश्वर उराव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रहेगी। परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए. ने बताया कि विभाग इसी नीति पर काम कर रहा है। यदि प्रस्ताव पास हो गया तो विभाग सीधे राशि खाते में न देकर इनको आवास बनाकर आबंटित किये जायेंगे। इसी क्रम में उपायुक्त, दुमका ने बताया कि विभाग द्वारा शौचालय बनाकर आबंटित किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा चकलता ग्राम में आंगणवाड़ी केन्द्र नहीं है। बच्चों की संख्या 20 से 25 हैं। उपायुक्त, दुमका ने कहा 20-25 बच्चों के लिये मिनी आंगणवाड़ी खोलने का प्रावधान है। आश्वासन दिया गया कि मिनी आंगणवाड़ी खुलवा दी जायेगी एवं आंगणवाड़ी सेविका की भी व्यवस्था की जायेगी। उपायुक्त, दुमका ने बताया कि ग्रामीणों को 600 रुपये पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह विशेष सहायता योजना जल्दी क्रियान्वित की जायेगी जिसकी राशि 600 रुपये है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पहाड़िया लोगों के पास खेती करने के लिये जमीन है लेकिन सिंचाई का साधन नहीं है, उनकी मांग है कि प्रशासन द्वारा सिंचाई करने के लिये पम्पसैट दिया जाये। इस पर उपायुक्त, दुमका ने कहा कि किसान समूह बनाकर लिखित आवेदन दें, उसके बाद प्रशासन द्वारा उनको sharing पर पम्पसैट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायेगी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बिजली की व्यवस्था है लेकिन आपूर्ति ठीक नहीं है, इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है। चकलता ग्राम के प्रवास के दौरान श्री सुखलाल दोहरी ने बताया कि बिजली कनेक्शन लेने पर बिजली वाला 2000 रुपये मांगता है। इस संबंध में उपायुक्त, दुमका ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन लेने पर कनेक्शन चार्ज ही देना होता है एवं उसकी रसीद भी मिलती है। आश्वासन दिया गया कि यदि ऐसा है तो इसकी जाँच की जायेगी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि रोजगार न होने के कारण लोगों की मांग है कि उनको लोन दिया जाये ताकि वे छोटा-मोटा व्यवसाय कर सकें। उपायुक्त, दुमका ने माना कि वर्तमान में मनरेगा के तहत भी कार्य नहीं चल रहा है। 1000 नवयुवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया था, इसके उपरान्त उनको मुद्रा लोन भी दिया गया था। इस संबंध में भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की जरूरत है। उपायुक्त, दुमका ने कहा कि पहाड़िया लोगों के लिये प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिये पहाड़िया कोचिंग सेंटर भी खोला गया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इन लोगों को जागृत करके लाना होगा ये लोग अपने आप नहीं आयेंगे। ये लोग समाज के अन्तिम पायदान में हैं और सरकार को ही इनके उदय पर विचार/प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि यदि एक व्यक्ति सीख गया तो उसे देखकर शेष सभी सीख लेंगे। चकलता गाँव में दसवीं, इंटरपास एवं बी.ए. पास व्यक्तियों को नौकरी दिये जाने के संबंध में



जिनका सारा ध्यान विकास में बढ़ते कामों से नहीं है। वे भी इस नियम नहीं हैं। केवल में सुधारों की मनोज सिंह पहाड़िया ने बताया कि अपायुक्त, दुमका आदिवासियों एवं आदिम जनजाति समूह के लोगों के कल्याण के लिये रूचि लेकर अच्छा कार्य कर रहे हैं।



राजकीय अतिथिशाला दुमका में मीडिया से बात करते हुये


भूल पहाड़ गाँव का भ्रमण

बैठक के उपरान्त अध्यक्ष महोदय राजकीय अतिथिशाला से सड़क मार्ग द्वारा पहाड़िया लोगों के रहन-सहन एवं उनकी स्थिति देखने के लिये भूल पहाड़ गाँव पहुँचे। यह गाँव पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस गाँव में 48 मकान हैं और इसकी आबादी लगभग 250 है।

1. **शिक्षा:-** उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय है। दो स्थाई अध्यापक हैं जोकि जनजाति वर्ग से हैं। विद्यालय की इमारत की स्थिति खराब है। बारिश के दौरान सारा पानी विद्यालय की दीवारों में जाता है, विद्यालय की दीवार जर्जर हालात में है। हाई स्कूल गाँव से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, विद्यार्थियों को साईकिल से जाना पड़ता है एवं जिनके पास साईकिल नहीं है उनको पैदल ही जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय ने मौखिक रूप में प्रश्न कर शिक्षा के स्तर की जाँच की तो स्तर ठीक पाया गया। स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत की आवश्यकता है।

2. **पथ निर्माण:-** उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि मैन रोड से गाँव तक पक्का सस्ता बना हुआ है लेकिन सस्ता टूटा-फूटा हुआ है। सड़क को मरम्मत करने की आवश्यकता है।

3. **पेयजल:-** श्री देवाशीष उपाध्याय, डी.एम.एस. ने बताया कि ग्रामीणों को कुआँ का पानी पीना पड़ता है। गाँव में एक चापाकल है जोकि विद्यालय के पास है एवं विद्यालय के नाम से लगा हुआ है। चापाकल गाँव से दूरी पर स्थित है। गाँव के लिये एक भी चापाकल नहीं लगाया गया है। डा. देवाशीष उपाध्याय, डी.एम.एस. ने बताया कि कुआँ का पानी पीने से गाँव के लोग बीमार होते हैं।



भूल पहाड़ गाँव के भ्रमण के दौरान का दृश्य

4. **चिकित्सा:-** उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि गाँव एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र है। उपकेन्द्र की स्थिति खराब है, मरम्मतीकरण की आवश्यकता है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र में खिड़कियों एवं शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। उपकेन्द्र की चारदीवारी भी नहीं की गई है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र में डा. देवाशीष उपाध्याय, डी.एम.एस., मैरी निला हांसदा एवं संजय कुमार सिंह दो कार्यकर्ता हैं। डा. देवाशीष उपाध्याय, डी.एम.एस. ने बताया कि वे

रामेश्वर ओराण

उपस्थित/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सप्ताह में एक दिन आते हैं एवं उनको अनुबंध के आधार 400 रुपये एक दिन के हिसाब पर रखा गया, शेष महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन आते हैं। बताया कि सप्ताह में एक दिन आकर लोगों का ईलाज नहीं किया जा सकता। डा. देवाशीष उपाध्याय, डी.एम.एस. ने बताया कि पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण यहाँ के लोग कमजोर हैं, उनको विटामिन की गोली दी जाती है। डाक्टर ने बताया कि यहाँ पर प्राथमिक उपचार होता है, उसके बाद दुमका रैफर किया जाता है। उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि दवाईयाँ नहीं मिलती हैं। अध्यक्ष महोदय ने डा. देवाशीष उपाध्याय, डी.एम.एस. से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का कहना ठीक है, पिछले एक वर्ष से टेंडर पास नहीं हुआ जिसके कारण एक वर्ष से दवाईयाँ नहीं हैं। ग्रामीणों को दवाईयाँ खरीदनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि किसी महिला की डिलीवरी होने वाली हो तो उसके केस में क्या करते हो? ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे मामले में शहर ले जाना पड़ता है। ममता वाहन को बुलाते हैं लेकिन सड़क की स्थिति खराब होने के कारण ड्राइवर आने के लिये मना कर देते हैं। लोगों को खुद पैसा देकर गाड़ी मंगवानी पड़ती है। डाक्टर ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में यदि कार्यालय की गाड़ी उपलब्ध हो तो मंगवा देते हैं। ग्रामीणों को मुख्यतः मलेरिया, पीलिया एवं ब्रेन मलेरिया होता है।

5. **बिजली:-** ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि अभी तक कोई पोल या तार बिजली विभाग द्वारा नहीं लगाई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि इस बारे में हम बिजली विभाग में बात करते हैं तो बिजली विभाग वाले कहते हैं कि अभी आपके गाँव का सर्वे नहीं हुआ है।

6. **आंगनवाड़ी:-** गाँव में आंगनवाड़ी केन्द्र है। श्रीमती सुखिया पुजहर, आंगनवाड़ी सेविका है। इनको 4400 रुपये वेतन मिलता है। आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या 26 है। श्रीमती सुखिया ने बताया कि बच्चों को सप्ताह में तीन दिन अण्डा और इसके अलावा दलिया एवं दोपहर में खिचड़ी सोयाबीन दी जाती है। खाना आंगनवाड़ी सहायिका बनाती है।

7. **आवास:-** गीता कुमारी पुत्री श्री दिलीप कुमार सिंह एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बिरसा आवास योजना के तहत ग्रामीणों को मकान नहीं मिला है।



डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8. राशन:- ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर की दुकान गाँव से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। महीने में 15 एवं 25 दो दिन राशन मिलता है। राशन में गेहूँ कम मिलता है, खरीदना पड़ता है। श्री जयकुमार पुजहर ने बताया कि बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है। राशन 1 रूपये प्रति किलो मिलता है जोकि पहले मुफ्त मिलता था। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उपायुक्त से बात हुई है, उन्होंने कहा कि एक महीने बाद राशन पहले की तरह मिलेगा।

9. पेंशन:- उपस्थित लोगों ने बताया कि वृद्धा एवं विधवा पेंशन मिलता है। बताया गया कि आदिम जनजाति समूह की विशेष पेंशन के लिये परिवार की महिला मुखिया का फार्म भरवा कर दिया गया है लेकिन अभी तक पेंशन वितरित नहीं की गई है।

10. वन अधिकार अधिनियम:- श्री रामचन्द्र पुजहर पिता कन्हाई पुजहर को 2011 में 0.01, 0.165, 0.98 कुल 1.155 जमीन का पट्टा दिया गया है। पुराना पुजहर पिता ईशान पुजहर को 0.05, 0.21, 0.16 कुल 0.42 का पट्टा दिया गया है। श्री जयकुमार सिंह को 0.03, 4.62, 3.03, 0.38, 0.23 कुल 8.29 जमीन का पट्टा मिला है (जमीन एकड़ में)। ग्रामीणों की मांग है, इसके अतिरिक्त जिस जमीन पर ये लोग खेती कर रहे हैं, उस जमीन का वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा दिया जाना चाहिये। ग्रामीणों ने बताया कि खेती करने के लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।


11. जाति प्रमाण पत्र- भूमि के पट्टों में जनजाति का उल्लेख किया गया। राजस्व अधिकारी के पास जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिये जाते हैं तो वह कहता है कि मेरे पास आदेश नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र दो प्रकार के जारी किये जाते हैं, पढ़ाई एवं नौकरी के लिये। पढ़ाई के लिये तो अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं लेकिन नौकरी के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं नहीं किया जाता। ग्रामीणों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को आग्रह किया कि उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

रामेश्वर ओराण

डा. रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग द्वारा दुमका जिले के भ्रमण के दौरान जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई उसकी अनुशंसा संक्षेप में इस प्रकार है:-

- (1) गाँवों में विद्युत की आपूर्ति दी जावे तथा तकनीकी समस्याओं के निदान हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाये
- (2) पेयजल आपूर्ति में सुधार किया जाये तथा चापाकल लगवाये जाये ।
- (3) गाँव के नजदीक में स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कारवाई की जाये ।
- (4) आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किये जाये एवं सेविक की भर्ती की जाये ।
- (5) शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता सुधार हेतु अच्छे शिक्षक लगाये जाये । पदों को रिक्त नहीं रखा जाये तथा शिक्षकों की उपस्थिति हेतु बायोमैटिक्स मशीने लगाई जाये ।
- (6) इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बनाकर लाभुको को आबंटित किये जाये ।
- (7) पेंशन का लाभ सभी लाभुको को दिया जाना चाहिये ।
- (8) बिरसा आवास योजना के तहत चकलता गाँव में आबंटन किया जाना चाहिये ।
- (9) जनवितरण योजना का अनुवीक्षण समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाये, जिससे वितरण प्रणाली में सुधार हो ।
- (10) ग्रामीणों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाये, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकें ।
- (11) वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये ।
- (12) अमलागड़िया गाँव में रास्ता बनाया जाये ताकि ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा हो एवं उनका विकास हो ।


(डा. रामेश्वर उराँव)
अध्यक्ष

डा. रामेश्वर उराँव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi